रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART I—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1507] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2008/कार्तिक 5, 1930
No. 1507] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2008/KARTIKA 5, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2008

का.आ. 2532(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 23 अक्तूबर, 2008 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

" श्री बी. विनोद कुमार, (संसद सदस्य), मुख्य सचेतक, 13 ई, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001

—याची

बनाम

श्री ए. नरेन्द्र, संसद सदस्य, लोक सभा,

दिल्ली का पता : सी I/6, लोदी गार्डन, नई दिल्ली-110001.

स्थायी पता : 23-6-431/1, गवलीपुरा मार्केट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

—प्रत्यर्थी

के मामले में

आदेश

1. यह आवेदन श्री बी. विनोद कुमार द्वारा स्वयं को लोक सभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीआरएस कहा गया है) के मुख्य सचेतक के रूप में बताते हुए प्रत्यर्थी श्री ए. नरेन्द्र, संसद सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने से निरर्ह करने की प्रार्थना की गई है ।

2. याची के अनुसार प्रत्यर्थी जो टीआरएस का सदस्य है, मई, 2004 में हुए निर्वाचन में आंध्र प्रदेश के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था और उसका नाम लोक सभा के टीआरएस सदस्यों की सूची में शामिल है । यह आरोप है कि प्रत्यर्थी " टीआरएस पार्टी की नीतियों और निर्णयों के विरुद्ध कार्य कर रहा था । इसलिए उसे पार्टी से निलंबित कर दिया गया था ।"

3. याची के अनुसार, टीआरएस ने "18 जुलाई, 2008 को लोक सभा में अपने सभी सदस्यों, जिनमें प्रत्यर्थी भी शामिल है, को सभा में 21 और 22 जुलाई को उपस्थित रहने और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने के लिए तीन पंक्ति का व्हिप जारी किया था ।"

4. याचिका में उल्लिखित तीन-पंक्ति का व्हिप नीचे दिया गया है:-

> "भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, कि "यह सभा मंत्रिपरिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है", 21 और 22 जुलाई, 2008 को लोक सभा में चर्चा के लिए लिया जाएगा । अतः, लोक सभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति संसदीय दल के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा में उपस्थित रहें और प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान करें ।
>
> (बी. विनोद कुमार)
> मुख्य सचेतक
> टीआरएस संसदीय दल
> लोक सभा के सभी टीआरएस सदस्यों के लिए "

5. याची का यह तर्क है कि लोक सभा में प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने के बजाय, प्रत्यर्थी ने 'पार्टी व्हिप और निदेश' का घोर उल्लंघन करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और, इस तरह, दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अधीन वह लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो गया है तथा यह कि पार्टी ने प्रत्यर्थी के ऐसे कृत्य को माफ नहीं किया है । अतः, उन्होंने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के उपबंधों के अधीन प्रत्यर्थी की निरर्हता के लिए प्रार्थना की है ।

6. प्रारंभ में, याची ने याचिका के साथ उससे संबंधित कोई दस्तावेज फाइल नहीं किए अथवा उनकी प्रतियां संलग्न नहीं की जिन पर वह निर्भर करना चाहते थे किन्तु उन्होंने दिनांक 30 जुलाई, 2008 को और आगे दिए गए आवेदन पत्र के साथ कतिपय दस्तावेजों अर्थात् तीन पंक्ति के व्हिप की एक प्रति, लोक सभा के रिकार्ड, जिसमें सदस्यों के मतदान करने के तरीके को दर्शाया गया है, डीटीडीसी कूरियर और डाक प्राधिकारियों के कुछ कथित रिकार्ड तथा तेलुगु समाचार पत्र 'ईनाडु' में प्रकाशित समाचार के अनुवाद की एक प्रति का खुलासा किया है ।

7. प्रत्यर्थी ने 8 अगस्त, 2008 को अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज कराई जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया कि व्हिप या निदेश केवल राजनीतिक दल के नेता अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है और वर्तमान मामले में राजनीतिक दल द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया गया था । इसके अलावा, दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया गया कि यह व्हिप प्रत्यर्थी को उचित रूप से जारी और तामील किए जाने का कोई सबूत नहीं है और यह कि याचिका में न तो व्हिप को तामील कराने के तरीके का कोई उल्लेख है, न ही इसके समर्थन में कोई साक्ष्य है ।

8. प्रत्यर्थी के अनुसार, याचिका में व्हिप के कथित रूप से जारी किए जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और यह कि याचिका में यह प्रकथन भी नहीं है कि याची को कब मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था और कब उन्हें टीआरएस पार्टी द्वारा मुख्य सचेतक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, यह कि याचिका उस प्राधिकार के बारे में मूक है जिसके द्वारा उन्हें मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया ।

9. प्रत्यर्थी ने यह भी तर्क दिया है कि जब टीआरएस सदस्यों ने पहले त्यागपत्र दे दिया था, तो उसे न तो ऐसा करने के लिए कहा गया था और न ही उसे कोई निदेश दिया गया था, यह कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के दौरान जब उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, तो उसे टीआरएस द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया था और यह कि चूँकि वह एक निलंबित सदस्य थे, इसलिए उन्हें व्हिप जारी किए जाने का कोई कारण नहीं बनता था ।

10. इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने याची द्वारा व्हिप जारी किए जाने की सक्षमता पर विशिष्ट रूप से प्रश्न चिह्न लगाया है कि उन्हें दिनांक 18 जुलाई को प्रत्यर्थी को व्हिप के तामील किए जाने के बारे में राजनीतिक दल -टीआरएस द्वारा प्राधिकृत किया गया है या वह इसके लिए सक्षम नहीं है और यह भी कि व्हिप के कथित तौर पर तामील किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है ।

11. याची द्वारा दायर किए गए उत्तर में यह बताया गया है कि उन्हें संसद में टीआरएस संसदीय दल के नेता अर्थात श्री के. चन्द्रशेखर राव द्वारा मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था ।

नियुक्ति-पत्र, जिसका बाद में खुलासा किया गया, में निम्नानुसार उल्लेख है:-

"के. चन्द्रशेखर राव
संसद सदस्य
(लोक सभा)
करीमनगर, आंध्र प्रदेश
अध्यक्ष, तेलंगाना राष्ट्र समिति,
पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्री

23, तुगलक रोड़, नई दिल्ली
दूरभाष: 011-23795092

एच. नं. 8-2-220/110/1/3, नन्दीनगर
रोड़ नं. 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद ।
दूरभाष: 040-23555798,23556669

दिनांक: 15 जुलाई, 2008

सेवा में

महासचिव,
लोक सभा,
संसद भवन
नई दिल्ली ।

तेलंगाना राष्ट्र समिति संसदीय दल की ओर से मैं एतद्द्वारा श्री बी. विनोद कुमार, संसद सदस्य, हनमकोंडा (आई.सी.-38) को लोक सभा में "**मुख्य सचेतक**" के रूप में नियुक्त करता हूँ ।

धन्यवाद,

भवदीय,

ह./-
(के चन्द्रशेखर राव)

12. याची ने अपने उत्तर में यह भी तर्क दिया है कि टी आर एस ने 18 जुलाई, 2008 को प्रत्यर्थी सहित अपने सदस्यों को लोक सभा में उपस्थित रहने और विश्वास-प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने के लिए तीन पंक्ति का व्हिप जारी किया था और यह कि टी आर एस राजनीतिक दल के नेता ने याची को दल के मुख्य सचेतक के रूप में प्राधिकृत किया था और तदनुसार व्हिप जारी किया गया था। तथापि, अपने उत्तर के पैराग्राफ 6 में याची ने बताया है कि याची को टी आर एस विधायक दल द्वारा और उसकी ओर से मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया था, जैसाकि दिनांक 15 जुलाई, 2008 के दस्तावेज में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है।

13. प्रत्यर्थी के इस तर्क कि याची को दसवीं अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अधीन बनाए गए लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 7(3) के उपबंधों का अनुपालन साबित करना चाहिए, के उत्तर में याची ने बताया कि दिनांक 31 जुलाई, 2008 के लोक सभा सचिवालय के पत्र के उत्तर में अर्थात 22 जुलाई 2008 को विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पश्चात् याची ने 2 अगस्त 2008 को उक्त नियमों के नियम 7(3)(क) में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया है।

14. तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने एक और उत्तर दाखिल किया जो याची द्वारा फाईल किए गए उत्तर के संबंध में था जिसमें प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया है कि उसके दिल्ली स्थित मुख्यालय पर केवल एक टेलीग्राम 22 जुलाई, 2008 को 1639 बजे तब भेजा गया था जब प्रत्यर्थी लोक सभा में प्रातः 10.30 बजे से मतदान समाप्त होने के बाद सभा के स्थगित होने तक मौजूद था ।

15. याची ने 22 सितंबर, 2008 को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए उत्तर में एक और अतिरिक्त उत्तर दाखिल किया है जिसमें उसने अपने तर्कों को दोहराया है और प्रत्यर्थी को निरर्हित करने के लिए प्रार्थना की है ।

16. पक्षकारों के अभिवचनों और तत्संबंधी तर्कों के मद्देनजर नियमों की व्याख्या करने तथा विवादास्पद तथ्यगत प्रश्नों के संबंध में मौजूदा याचिका का निपटान करते समय विचार करने हेतु अनेक प्रश्न उठे हैं ।

17. जहाँ तक स्लिप तामिल किए जाने का संबंध है, याची का तर्क है कि स्लिप टेलीग्राम द्वारा 18 जुलाई, 2008 को प्रत्यर्थी के दिल्ली के पते और हैदराबाद के पते पर जारी किया गया था और टेलीग्राम में मकान संख्या 23-6-43, गवलीपुरा मार्केट,

हैदराबाद, आंध्र प्रदेश लिखा गया था । याची ने डाक प्राधिकारियों के कथित दिनांक 19 सितम्बर, 2008 के दोनों पत्रों को प्रमाण माना है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि टेलीग्राम प्रत्यर्थी को दिनांक 19.07.2008 के 'टी एम ओ सं0 2' द्वारा अपराह्न 1.00 बजे उनके दिल्ली के पते पर कथित रूम से भेजा गया ।'

18. याची ने 30 जुलाई, 2008 को एक और पत्र का उल्लेख किया है जो कथित रूम से दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि '18.07.08 का ए आर 9 टेलीग्राम ए/टी ए. नरेन्द्र एमपी मेडक, म.सं. 23-6-43, गवलीपुरा मार्केट, हैदराबाद 19.07.08 को 11.00 बजे प्राप्त कराया गया था ।' प्रत्यर्थी ने कथित डाक दस्तावेजों की सत्यता पर अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए जोरदार विरोध किया है कि याची द्वारा पत्र लिखने वालों को अथवा उन व्यक्तियों, जिन्होंने टेलीग्रामों की सुपुर्दगी की है, को बुलाकर उनकी विषय वस्तु की पुष्टि करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि कथित सेवा विशेषतः विवादास्पद रही है । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है (जिस पर किसी प्रकार का कोई इंकार नहीं है) कि प्रत्यर्थी का स्थायी पता जैसाकि याचिका में ही उल्लिखित मामला शीर्ष (कॉज टाइटल) में दिखाया गया है, 23-6-431/1 गवलीपुरा मार्केट, हैदराबाद जबकि टेलीग्राम कथित रूम से मकान नं0 23 - 6 - 43, गवलीपुरा मार्केट,

हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के पते पर भेजा गया माना गया है जिसे प्रत्यर्थी ने अपना पता होने से इनकार किया है। इस तरह हैदराबाद भेजे गए टेलीग्राम द्वारा व्हिप का तामील किया जाना बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुआ है । प्रत्यर्थी के दिल्ली के पते पर दिनांक 18 जुलाई, 2008 के कथित टेलीग्राम तामील किए जाने के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं हैं ।

19. याची के अनुसार 22 जुलाई को कथित रूप से तामील किए गए टेलीग्राम के बारे में ऐसा प्रतीत होता है, जैसाकि प्रत्यर्थी के वकील द्वारा टेलीग्राम की प्रति, जो कि कार्यवाही का भाग है, में दर्शाया गया है, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कि वह 21 जुलाई, 2008 को नई दिल्ली से जारी किया गया था और प्रत्यर्थी के निवास पर 22 जुलाई, 2008 को 16.39 बजे उस समय प्राप्त किया गया था जब माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर सभा में चर्चा चल रही थी और प्रत्यर्थी सभा में उपस्थित था जिस तथ्य पर याची द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है । अतः, प्रत्यर्थी का कहना है और वह इसे स्वीकार करते हैं कि वास्तविक मतदान से पहले उक्त टेलीग्राम द्वारा व्हिप को प्रभावी ढंग से तामील नहीं किया गया था ।

20. याची ने व्हिप की उस प्रति का भी उल्लेख किया है जिसे डीटीडीसी कुरियर द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2008 को कथित रूप से तामील किया गया था और उस हस्ताक्षर पर विश्वास किया है जो कि याची द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज पर प्रत्यर्थी के नाम के समक्ष किए गए हैं। प्रत्यर्थी ने संबंधित कुरियर द्वारा कथित रूप से जारी दस्तावेजों की सत्यता पर दृढ़ता से इनकार किया है परन्तु इसके बावजूद याची ने कुरियर कम्पनी के दस्तावेजों अथवा रिकार्ड को उस व्यक्ति, जिसने यह उपलब्ध कराए थे, को बुलाकर सिद्ध करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है अथवा दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर, जिसके बारे में प्रत्यर्थी की ओर से जोरदार ढंग से इंकार किया गया था और जो लोक सभा सचिवालय के रिकार्ड में प्रत्यर्थी के स्वीकृत हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, को प्रमाणित करने का अन्यथा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

21. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा *2(1)(ख)* में यह उपबंध है कि यदि सभा का कोई सदस्य कि " ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है अथवा " किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, द्वारा जारी किसी निदेश के विरुद्ध " ऐसी सभा में मतदान करता है अथवा मतदान करने से विरत रहता है तो वह निरर्हता के योग्य होगा।

22. अतः, प्रश्न उठता है कि क्या उस राजनीतिक दल, जिससे प्रत्यर्थी का सम्बद्ध होना बताया गया था अथवा राजनीतिक दल द्वारा इसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कोई निदेश जारी किया गया था ।

23. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि याची को मुख्य सचेतक किस प्रकार नियुक्त किया गया था, यह कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि राजनीतिक दल ने याची को मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया था और याची द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था कि प्रत्यर्थी को व्हिप तामील किया गया था । ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यर्थी के अनुसार उसे संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के द्वारा अपेक्षित कोई निदेश जारी नहीं किया गया था और याचिका अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

24. यदि प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार किया जाता है तो पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य किसी भी मुद्दे पर विचार किए बिना ही याचिका निःसंदेह खारिज हो जाएगी । इस प्रकार, मैं प्रत्यर्थी के इस तर्क पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ कि याची व्हिप के विधिवत जारी किए जाने को सिद्ध करने में अथवा व्हिप को विधियुक्त तामील किए जाने का संतोषजनक प्रमाण देने में असफल रहा है ।

25. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) में उपबंध है कि उसमें यथाविचारित निदेश "उस राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है अथवा जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है" द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है । यह नोट किया जाए कि याची द्वारा प्रस्तुत किया गया अर्थात श्री के.

चंद्रशेखर राव का 15 जुलाई, 2008 के पत्र से स्पष्ट पता चलता है कि याची को "तेलंगाना राष्ट्र समिति संसदीय दल" की ओर से लोक सभा में मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया था और कि इसमें उस राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है जिसके द्वारा निदेश जारी किया जाना अपेक्षित है । मेरे समक्ष - मौखिक रूप से या अन्यथा - कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उस राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है द्वारा याची की कोई नियुक्ति नहीं की गई है । हालांकि राजनीतिक दल द्वारा याची को मुख्य सचेतक के रूप में कथित रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा कोई विशिष्ट चुनौती दी गई है, फिर भी इसे सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

26. इसके अलावा, मेरी राय में जहां तक व्हिप के तामील किए जाने का संबंध है, याची इस बात को संतोषप्रद ढंग से सिद्ध नहीं कर सका है कि व्हिप 18 जुलाई, 2008 के टेलीग्राम द्वारा अथवा अन्यथा तामील किया गया था । जहां तक हैदराबाद में तामील किए जाने का संबंध है, इस बात पर विवाद नहीं है कि टेलीग्राम गलत पते पर भेजा गया था जिससे प्रत्यर्थी का कोई संबंध नहीं है । डाक प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए एक पत्र के सिवाय, जिसकी स्वीकार्यता का कोई प्रमाण न होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा पुरजोर ढंग से मना कर दिया गया है, व्हिप तामील किए जाने को सिद्ध करने के लिए अन्यथा कोई प्रयास नहीं किया गया है । 21 जुलाई, 2008 को भेजे गए टेलीग्राम के तामील किए जाने के बारे में, स्वयं याची द्वारा पेश किए गए दस्तावेज से यह सिद्ध

होता है कि यह टेलीग्राम लोदी गार्डन के उनके दिल्ली के आवास पर 22 जुलाई, 2008 को 16.39 बजे सुपूर्द किया गया। याची ने इसको मानने से इनकार नहीं किया है कि प्रत्यर्थी वाद-विवाद की पूरी अवधि के दौरान सभा में उपस्थित था । अतः, प्रत्यर्थी को मतदान से पहले यह प्राप्त नहीं हुआ ।

27. प्रत्यर्थी के विद्वत वकील ने यह भी तर्क दिया है कि जब प्रत्यर्थी सभा में ही उपस्थित थे तथा दिल्ली में ही मौजूद थे, तो ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि उसे संसद परिसर के भीतर अथवा उनके दिल्ली के आवास पर व्यक्तिगत रूप से इसे तामील करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया । वस्तुतः याची द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है कि ऐसा कोई प्रयास किया गया था ।

28. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1)(ख) के उपबंधों के अनुसार, निदेश जारी करने की शक्ति के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एआईआर 1993 एससी 412 के किहोटा होलोहन बनाम जाचिल्हु तथा अन्य के मामले में यह टिप्पणी की है कि इस उपबंध में किसी राजनीतिक दल द्वारा उसके किसी सदस्य को निदेश दिया जाना चाहिए।

29. अतः अवधारण के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि चूंकि इसे विशेष रूप से प्रत्यर्थी की ओर से उठाया गया था कि क्या याची को संबंधित राजनीतिक दल द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया गया था अथवा नहीं और क्या निदेश अथवा व्हिप (यह मानते हुए कि इसे प्रत्यर्थी को तामील किया गया था) राजनीतिक दल के उपयुक्त प्राधिकार के अंतर्गत जारी किया गया था ।

30. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपने इस तर्क के समर्थन में कि वह मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया था, याची ने दिनांक 15 जुलाई, 2008 के एक पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें टीआरएस संसदीय दल की ओर उनकी नियुक्ति का पता चलता है न कि राजनीतिक दल की ओर से । दसवीं अनुसूची के उपबंध इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट हैं जैसा कि पैरा 2(1)(ख) के अधीन निदेश केवल किसी राजनीतिक दल अथवा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है । न तो उस पत्र से यह पता चलता है अथवा न कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि याची श्री विनोद कुमार किसी राजनीतिक दल द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति है और इस परिस्थिति में, याची द्वारा दिया गया यह तर्क कि संबंधित निदेश किसी राजनीतिक दल अथवा किसी राजनीतिक दल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया था, सिद्ध नहीं हो पाया है ।

31. इस मामले की सभी परिस्थितियों तथा सुनवाई के दौरान किए गए उपरोक्त निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि प्रत्यर्थी ने अपने ऊपर किसी विधियुक्त निदेश के विधिपूर्ण तामील को संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)ख की आवश्यकता के अनुरूप विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करके गलत साबित किया है ।

32. प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क भी दिया गया है कि याची द्वारा पेश किए गए कुछ समाचारपत्रों को अकाट्य प्रमाण के अभाव में न तो स्वीकार किया जाना चाहिए और न ही इन पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि उनकी विषयवस्तु का प्रत्यर्थी ने विरोध किया था । मेरी राय में प्रत्यर्थी ने यह सही तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में तथ्य संबंधी प्रमुख प्रश्न, जिस पर निर्णय लिया जाना है, भारत के संविधान के पैरा 2(1)ख

के अनुसार प्रत्यर्थी पर व्हिप के तामील किए जाने की तथ्यता और वैधता से संबंधित है जिसे केवल उन समाचारपत्रों को पेश करके ही सिद्ध नहीं किया जा सकता जिनकी विषयवस्तु को साबित करने का प्रयास भी नहीं किया गया है ।

33. प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में प्रमुख मुद्दे को साबित करने के लिए समाचारपत्रों पर निर्भर नहीं किया जा सकता है और इस तथ्य के समर्थन में प्रत्यर्थी ने 1998 (3) एससीसी 319 में प्रकाशित लक्ष्मी राज सेट्टी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य तथा 1999 (7) एससीसी 435 में प्रकाशित रविन्द्र कुमार शर्मा बनाम असम राज्य एवं अन्य के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का सहारा लिया है ।

34. इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा विधि की दृष्टि में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया है कि प्रत्यर्थी ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1)(ख) की परिधि में आता हो।

35. उपर्युक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया है कि याची याचिका में दिए गए तर्कों को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है और याचिका अस्वीकृत की जाती है ।

नई दिल्ली :
23 अक्तूबर, 2008

सोमनाथ चटर्जी
अध्यक्ष, लोक सभा"

[सं. 46/25/2008/टी]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2008

S.O. 2532(E).— The following decision dated 23rd October, 2008 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"In the matter of :

B. Vinod Kumar, (M.P.), Chief Whip, 13E, Ferozshah Road, New Delhi-110001.

—Petitioner

Versus

Shri Ale Narendra, Member of Parliament, Lok Sabha

Delhi Address : CI/6, Lodhi Garden, New Delhi-110001.

Permanent Address : 23-6-431/1, Gowlipura Market, Hyderabad, Andhra Pradesh

—Respondent

ORDER

1. This is an application filed by Shri B. Vinod Kumar, describing himself as the Chief Whip of Telangana Rashtra Samiti (hereinafter referred to as TRS) in Lok Sabha against the respondent Shri Ale Narendra, MP, Lok Sabha, praying for the disqualification of the respondent from being and continuing as a Member of the present Lok Sabha, under the Tenth Schedule of the Constitution of India.

2. According to the petitioner, the respondent, belonging to TRS, was elected from Medak Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in the elections held in May 2004 and that his name is entered in the list of TRS Members of Lok Sabha. It has

been alleged that the respondent had been working "against the interest of TRS Party policies and decisions. Therefore, he was suspended from the party."

3. According to the petitioner, TRS on "July 18, 2008 issued a three-line whip to all its Members in Lok Sabha, including the respondent, to be present in the House on 21 and 22 July and vote against the Motion of Confidence in the Union Council of Ministers".

4. The three-line whip mentioned in the petition is set out below:-

> "The motion given by Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Prime Minister of India that "This House expresses its confidence in the Council of Ministers" will come up on 21st and 22nd July, 2008 for discussion in the Lok Sabha. All members of Telangana Rashtra Samithy Parliamentary Party in Lok Sabha are, therefore, requested to remain in the House and vote against the motion.
>
> (B. Vinod Kumar)
> Chief Whip
> TRS Parliamentary Party
>
> To all Members of TRS, Lok Sabha"

5. It is the contention of the petitioner that instead of voting against the motion moved by the Prime Minister in Lok Sabha, the respondent voted in favour of the motion in gross violation of the "party whip and direction" and, as such, under paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule, he has incurred disqualification for being a Member of the Lok Sabha and that the party had not condoned such action of the respondent. Therefore, he has prayed for disqualification of the respondent under the provisions of paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India.

6. Initially, the petitioner did not file any documents or annex copies of the same on which he wanted to rely, along with the petition but along with a further application dated 30 July, 2008, he disclosed certain documents, namely, a copy of the three-line whip, records of Lok Sabha indicating how Members had voted, some alleged records of DTDC courier and of the postal authorities and a translation of a news item from a Telugu newspaper "Eenadu."

7. The respondent filed his Preliminary Objections on 8 August, 2008 contending, *inter alia*, that a whip or direction can be issued only by the leader of the political party or his authorized

person and that in the present case, there was no such direction issued either by the political party or any one under its authority. It was further strongly contended that there was no proof of the due issue and service of the same on the respondent and that the petition did not mention at all about the manner of service of the whip nor was there any evidence in support of the same.

8. According to the respondent, the petition does not even allege issuance of any whip, that there is no averment also in the petition as to when the petitioner was appointed the Chief Whip and when he was authorized to act as the Chief Whip by the TRS Party, that the petition was silent about the authority which appointed him as the Chief Whip.

9. The respondent has further contended that when the TRS Members had earlier resigned, he was not asked to do so nor was he given any direction, that during the Presidential and Vice-Presidential elections when he had exercised franchise, there was no direction by the TRS and that as he was a suspended Member, there was no reason for the issuance of a whip.

10. The respondent has thus specifically raised the question about the petitioner's competence to issue a whip, about his having been

authorized by the political party, TRS, about the service of the whip dated 18 July on the respondent or at all and that there was no proof whatsoever of the alleged service.

11. In the rejoinder filed by the petitioner, the petitioner has stated that he was appointed the Chief Whip by the Leader of the TRS Parliamentary Party in the Parliament, namely Shri K. Chandrasekhar Rao.

The letter of appointment, subsequently disclosed, reads as under:-

"K. Chandrasekhar Rao
Member of Parliament
(Lok Sabha)

23, Tughlak Road, New Delhi
Phone : 011-23795092

Karimnagar, A.P.
President, Telangana Rashtra Samithi,
Former Union Labour Minister

H. No. 8-2-220/1/10/1/3, Nandinagar
Road No. 14, Banjara Hills,
Hyderabad.
Phones : 040-23555798, 23556669

Date : 15th July, 2008

To
The Secretary General,
Lok Sabha,
Parliament House,
New Delhi

On behalf of Telangana Rashtra Samithi Parliamentary Party, I hereby appoint Mr. B. Vinod Kumar, Member Of Parliament, Hanamkonda (IC-38) as the **"Chief Whip"** in Lok Sabha.

Thanking you

Yours sincerely,
Sd/-
(K. CHANDRASEKHAR RAO)"

12. In his rejoinder, the petitioner has contended further that the TRS on 18 July, 2008, issued a three-line whip to its Members in the Lok Sabha including the respondent to be present in the House and vote against the Motion of Confidence and that the leader of the TRS political party had authorized the petitioner as the Chief Whip of the party and accordingly, the whip was issued. However, the petitioner in paragraph 6 of his rejoinder has stated that the petitioner was appointed as the Chief Whip by and on behalf of the TRS Legislature Party, as the document dated 15 July, 2008 clearly indicates.

13. In reply to the contentions of the respondent that the petitioner should prove compliance with the provisions of rule 7(3) of the Members of Lok Sabha (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 1985, framed under the Tenth Schedule (hereinafter referred to as the said Rules), the petitioner has stated in his rejoinder that the procedure contained in rule 7(3)(b) of the said Rules has been complied with by the petitioner on 2 August, 2008 in reply to a letter of the Lok Sabha Secretariat dated 31 July, 2008, that is after the voting on the Confidence Motion on 22 July, 2008.

14. The respondent thereafter filed a further reply dealing with the rejoinder filed by the petitioner in which the respondent has admitted that only one telegram was delivered at his headquarters at Delhi at 1639 hours on 22 July, 2008 when the respondent was present in the Lok Sabha from 10.30 a.m. till the adjournment of the House after the voting was over.

15. The petitioner on 22 September, 2008, has filed an additional rejoinder to the reply filed by the respondent, wherein he has reiterated his contentions and has prayed for the disqualification of the respondent.

16. In view of the pleadings and the respective contentions of the parties, several questions relating to the interpretation of the Rules as well as disputed questions of fact arise for consideration in dealing with the present petition.

17. As far as the service of the whip is concerned, the contention of the petitioner is that the whip was issued by a telegram on 18 July, 2008 addressed to the respondent at his Delhi address as well as to his address at Hyderabad, which is mentioned in the telegram as House No. 23-6-43, Gowlipura Market, Hyderabad, Andhra

Pradesh. The petitioner has relied on two letters both dated 19 September, 2008 allegedly from the postal authorities in which it has been mentioned that the telegram allegedly addressed to the respondent "at his Delhi address was delivered at 1300 hours by TMO no. 2 dated 19.07.2008".

18. The petitioner has further referred to a letter dated 30 July, 2008 allegedly issued by the Department of Telecommunications in which it has been recorded that "the telegram, AR9 of 18.07.08 A/T Ale Narendra, MP Medak, H. No. 23-6-43, Gowlipura Market, Hyderabad was delivered on 19.07.08 at 1100 hours." The respondent has strongly disputed the correctness of the alleged postal documents contending, *inter alia*, that no attempt has been made by the petitioner to prove the contents thereof by calling the writers of the letters or the persons who may have delivered the telegrams, since the alleged service has been strongly disputed. Further, it has been contended by the respondent (to which there is no denial) that the permanent address of the respondent as will appear from the cause-title mentioned in the petition itself is 23-6-431/1, Gowlipura Market, Hyderabad, while the telegram has been alleged to have been sent to House No. 23-6-43, Gowlipura Market, Hyderabad, Andhra Pradesh, which admittedly is not the

address of the respondent. Thus, the service, if at all, of the whip by the telegram sent to Hyderabad has not at all been proved. There is no independent evidence whatsoever regarding the service of the alleged telegram dated 18 July, 2008 at the Delhi address of the respondent.

19. Regarding the telegram which was allegedly served, according to the petitioner on 22 July, it appears, as has been shown by the respondent's lawyer from the copy of the telegram itself, which is part of the proceedings, that as stated before, was issued on 21 July, 2008 from New Delhi and was received at the respondent's residence at 1639 hours on 22 July, 2008, when the discussion on the Motion moved by the Hon'ble Prime Minister was, in fact, going on in the House and the respondent was present inside the House, which fact has not been disputed by the petitioner. Thus, the respondent states, which I accept, that there was no effective service of the whip by the said telegram before the actual voting.

20. The petitioner has also referred to a copy of the whip having been allegedly served by courier DTDC on 19 July, 2008 and has relied on a signature, which appears against the name of the

respondent, in one of the documents produced by the petitioner. The respondent has strongly denied the correctness of the purported documents allegedly issued by the courier concerned but in spite thereof, the petitioner has not taken any step to prove the documents or the records of the courier company either by calling the person, who had served it or otherwise making any attempt to prove the purported signature on the document, which incidentally has been strongly denied on behalf of the respondent and also does not tally with the admitted signature of the respondent in the records of Lok Sabha Secretariat.

21. Paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution provides that if a Member of the House votes or abstains from voting in such House "contrary to any direction issued by the political party to which he belongs or by any person or authority authorized by it in this behalf", he will be liable to be disqualified.

22. The question, therefore, arises whether any direction was issued by the political party to which the respondent was said to belong or by any person authorized by the political party on its behalf.

23. It has been strongly contended by the learned lawyer of the respondent that there is no evidence as to how the petitioner was appointed the Chief Whip, that there was no evidence that the political party had appointed the petitioner as the Chief Whip and that no attempt had been made by the petitioner to establish that the whip was served on the respondent. In the circumstances, according to the respondent, no direction whatsoever was issued to him as required by paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution and the petition was liable to be rejected.

24. If the contention of the respondent is accepted, then it will no doubt result in the dismissal of the petition without considering any other issues raised by the parties. Thus, I propose to deal with the contention of the respondent that the petitioner has failed to prove the due issue of the whip or to provide satisfactory proof of the lawful service thereof.

25. Paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India provides that the direction as contemplated thereon is required to be issued "by the political party to which a Member belongs or by any person or authority authorized by it in this behalf". It is to be noted that the document which has been

produced by the petitioner, namely, a letter from Shri K. Chandrasekhar Rao dated 15 July, 2008, clearly shows that the petitioner was appointed as the Chief Whip in Lok Sabha on behalf of "Telangana Rastra Samithi Parliamentary Party" and that it does not at all mention the political party, which is required to issue the direction. No evidence has also been produced before me – orally or otherwise – that there was any appointment of the petitioner by the political party to which he belonged. Significantly, although a specific challenge was made by the respondent to the alleged appointment of the petitioner as Chief Whip by the political party, no attempt was made to prove the same.

26. Further, regarding the service of the whip, in my opinion, the petitioner has not been able to establish satisfactorily that there was service of the whip either by telegram dated 18 July, 2008 or otherwise. So far as the service at Hyderabad is concerned, it is not disputed that the telegram was sent to a wrong address with which the respondent has no connection. Except a letter from the postal authorities, the admissibility of which has been strongly denied by the respondent in the absence of any proof, no attempt has been made otherwise to prove the service. Regarding the service of the

telegram sent on 21 July, 2008, it is proved from the document produced by the petitioner himself that it was delivered at 1639 hours on 22 July, 2008 at his Delhi residence at Lodhi Garden. It is not disputed by the petitioner that the respondent was in the House during the whole period of the debate. Therefore, the respondent did not receive it before the voting.

27. It has been further contended by the learned lawyer of the respondent that when the respondent was present inside the House and was in Delhi, no reason has been suggested why no attempt was made to serve the respondent personally either within the Parliament premises or at his Delhi residence. As a matter of fact, no statement was made by the petitioner that any such attempt had been made.

28. Regarding the authority to issue the directions, as per the provisions of paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution, it has been observed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Kihota Hollohan vs. Zachilhu & others reported in AIR 1993 SC 412 that the provision contemplates that the direction is to be given by the political party to a member belonging to it.

29. The question therefore arises for determination, as it was specifically raised on behalf of the respondent, whether the petitioner was duly authorised by the political party concerned or not and whether the direction or whip (assuming it was served on the respondent) was issued under the due authority of the political party.

30. As mentioned before, in support of his contentions that he was appointed as the Chief Whip, the petitioner has referred to a letter dated 15 July, 2008, which shows appointment on behalf of TRS Parliamentary Party and not the political party. The provisions of the Tenth Schedule are very clear on this point as under Paragraph 2(1)(b) a direction can be issued only by a political party or by any person or authorised by that political party. Neither the letter indicates nor any evidence has been produced that the petitioner Shri Vinod Kumar was a person duly authorised by the political party in this behalf and in the circumstance, the contention made by the petitioner that the direction concerned was issued by the political party or by person authorised by the political party has not been established.

31. Taking all the circumstances of the case and the submissions made during the hearing as above into account, I am of the opinion

that the respondent has been able to adduce credible evidence to disprove the due service of any lawful direction on him in accordance with the requirement of Paragraph 2(1)b of the Tenth Schedule of the Constitution.

32. It has also been contended on behalf of the respondent that some newspapers which have been produced by the petitioner should not and cannot be relied upon in the absence of the strict proof of the same, as the contents thereof were disputed by the respondent. It is, in my view, rightly contended by the respondent that the main question of fact to be decided in the present case being the factum and validity of the service of the whip on the respondent in accordance with the Paragraph 2(1)(b) of the Constitution of the India, the same cannot be proved only by production of newspapers; the contents whereof have not been even attempted to be proved.

33. It is submitted on behalf of the respondent that no reliance can be placed on newspapers to prove the main issue in the matter, and in support of the said contention, the respondent relied on the judgements of the Hon'ble Supreme Court in the cases of Laxmi Raj Shetty and another Vs State of Tamil Nadu reported in 1998

(3) SCC 319 and in Ravindra Kumar Sharma Vs State of Assam and others reported in 1999(7) SCC 435.

34. Thus, in the facts and circumstances of the case and in law, I do not find that the respondent has done any such act which comes within the purview of Paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

35. Taking into account all the circumstances aforesaid, I find that the petitioner has not been able to establish the contentions made in the petition and the same stands rejected.

Sd/-
SOMNATH CHATTERJEE
SPEAKER, LOK SABHA"

NEW DELHI;
Dated the 23 October, 2008

New Delhi :
Dated the 23rd October, 2008

SOMNATH CHATTERJEE
SPEAKER, LOK SABHA"

[No. 46/25/2008/T]

P. D. T. ACHARY, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.